

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास – श्री मोहन लाल खटनावकिलया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 206/2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1जयप्रकाश पुत्र बुधाराम (फौत) के कायममुकामान 1/1 जानकी बेवा जयप्रकाश 1/2 हुक्माराम पुत्र जयप्रकाश 1/3 नाथी पुत्री जयप्रकाश 1/4 कृष्णा पुत्री जयप्रकाश 2रूपाराम पुत्र बुधाराम जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		1परसाराम पुत्र पूनाराम जाति कुम्हार निवासी हाल संखवास जो मौजूदा मे नोखा मण्डी वार्ड नं. 4 जिला बीकानेर। 2रामपाल पुत्र अमराराम जाति कुम्हार निवासी पडासला खुर्द तहसील बिलाडा जिला जोधपुर बहेसियत आम मुख्तियार – 1परसाराम पुत्र पूनाराम 2पूनीदेवी पत्नी पूनाराम 3नेनाराम 4मनसुख 5मुकेश 6बीराराम 7रामरतन पुत्रान पूनाराम सभी जाति कुम्हार निवासीगण मुण्डवा हाल वार्ड नं. 4 नोखामण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर। 8धर्मराम पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी मुण्डवा हाल संखवास तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 3तहसीलदार मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री कन्हैयालाल सुथार अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से।
3. श्री बाबू लाल भादू अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2/8 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से।

### निर्णय

दिनांक 04.10.2022

{1}—अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3442 दिनांक 06.08.2018 स्वीकार करने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 17.09.2018 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहा है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से श्री मधुर सिखवाल अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट 2/8 धर्मराम की ओर से श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के समर्थन में आदेश नामान्तरकरण सं. 3442 की फोटोप्रति, नकल कलक्टर (मु.) नागौर में प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति तथा मुख्तियारनामे की फोटोप्रति पेश की गई। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील श्री कन्हैयालाल सुथार ने एक प्रार्थना पत्र अधीन धारा 22 नियम 3 सीपीसी अपीलान्ट जयप्रकाश का निधन हो जाने से उनको कायममुकाम को पक्षकार जोड़े जाने बाबत दिनांक 18.12.21 पेश कर साथ ही इनके कायममुकाम का वकालतनामा पेश किया जिसपर वकील रेस्पोडेन्ट ने अनापति जाहिर जयप्रकाश तथा कृष्णा पुत्री जयप्रकाश जातियान कुम्हार निवासीगण मुण्डवा तहसील मुण्डवा बतौर पक्षकार अपीलान्ट्स रेकर्ड पर लिया गया।

  
अपर कलक्टर, नागौर

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के विंदु पर बताया गया कि दिनांक 13.08.18 को मनीराम पुत्र बीरमाराम जाट मुण्डवा ने बताया कि तुम्हारे बाबा सीताराम की जमीन का म्यूटेशन परसाराम को गोद पुत्र बताकर कर दिया है, जिस पर उसी दिन अपीलान्ट रूपाराम ने पत्रावली की जानकारी कर तहसीलदार मुण्डवा मे नकल की अर्जी की, तो फैसला की नकल दी गई, जबकि पूरी पत्रावली की नकल मांगी थी। शेष पत्रावली की नकले नहीं देने पर जिला कलक्टर नागौर को अर्जी दिनांक 20.08.18 को देने पर 28.08.18 को शेष पत्रावली की नकले दी तथा बाद मे इस आदेश के म्यूटेशन की जानकारी पटवारी से करने से पता चला कि म्यूटेशन भी भरकर पास कर दिया है, जिसकी नकल दिनांक 04.09.18 को प्राप्त हुई, ऐसी दशा मे प्रकरण मे अपीलाधीन म्यूटेशन के आदेश की जानकारी से अपील अंदर मियाद है। अपीलाधीन आदेश म्यूटेशन विधि विरुद्ध होने से समयावधि से बाधित नहीं है, ऐसी दशा मे भी अपील अंदर मियाद शुमार योग्य है। अपीलान्ट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकमुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट्स की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलान्ट्स ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)-म्यूटेशन जैर अपील तथ्यो व विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](II)-म्यूटेशन जैर अपील बाबत आदेश व म्यूटेशन जैर अपील वाद चलने के दौरान किया गया है। पक्षकारो के मध्य राजस्व वाद सं. 156/16 सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर के न्यायालय मे लंबित है, उक्त वाद मे पक्षकारो के हक तय होने थे, दावा चलने के दौरान उतराधिकार व गोद जैसे प्रश्न को तय करने का अधिकार तहसीलदार मुण्डवा को नहीं था, फिर भी अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर मिलावट कर विधि विरुद्ध तरीके से म्यूटेशन जैर अपील व म्यूटेशन बाबत आदेश दिया, वह विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](III)-परसाराम द्वारा रामपाल के पक्ष मे दिया गया आम मुखियारनामा दिनांक 21.07.09 को लिखकर दिया, उक्त आम मुखियारनामा के प्रथम पेरा की दूसरी लाईन मे उल्लेख किया है "यह है कि सीताराम के कोई औलाद न होने के कारण मेरे पिताजी ने मेरे को सीताराम को गोद दे दिया, जिसका लेखा कचहरी नागौर मे दिनांक 16.01.78 को 30+3+3 कुल 36 रु. के स्टॉप सं. 4557 पर दर्ज है। यह स्टॉप विक्रेता दीनदयाल था और उसके साख नरेन्द्रप्रसाद पुत्र श्रीराम मुण्डवा वाला की व दूसरी साख रतनसिंह पुत्र भोपालसिंह निवासी सोयला (सोलियाना) तहसील नागौर की हैं।"

इस आम मुखियारनामा मे परसाराम ने गोद तारीख 16.01.78 बताई है, जबकि रामपाल ने अर्जी मे गोद तारीख 20.04.73 दर्ज की है। जिसमे काट छांट है, साखे भी परसाराम ने नरेन्द्रप्रसाद पुत्र श्रीराम निवासी मुण्डवा व रतनसिंह पुत्र भोपालसिंह निवासी सोयला बताया है। जबकि रामपाल की अर्जी मे बद्रीप्रसाद पुत्र श्रीराम साद निवासी मुण्डवा व रतनसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत निवासी सोलियाना दर्ज किया है।

परसाराम ने अपने आम मुखियारनामा मे स्टॉप रु. 30+3+3 कुल 36 रु. के दीनदयाल स्टॉप वेण्डर नागौर से लेना व क्रमांक 4557 पर दर्ज होना बताया है, जिसमे गोदनामा लिखने का कथन किया है।

जबकि इस विवरण के स्टॉप मे कोई गोदनामा का उल्लेख ही नहीं है, यह तो बख्शीशनामा लिखा हुआ है तथा पंजीबद्ध दस्तावेज है।

परसाराम के द्वारा आम मुखियारनामा से भिन्न गोदनामा का दस्तावेज रामपाल कहां से लाया, ऐसा किसी गोदनामा का उल्लेख परसाराम ने अपने आम मुखियारनामा मे नहीं किया, न ही पूर्व से लंबित किसी दावे के जवाब दावे मे किया। रामपाल द्वारा गोदनामा की तारीख का उल्लेख किया, उसका कोई उल्लेख परसाराम द्वारा अपने आम मुखियारनामा या जवाब दावा मे आज तक कभी नहीं किया, ऐसी दशा मे संपूर्ण कथन पूर्ण रूप से फर्जी व झूठे रहे थे, ऐसा कोई गोदनामा न तो था, न ही है, यदि कोई पेश किया है, तो पूर्ण रूप से कूटस्थित व फर्जी है, जो आपराधिक कृत्य है, ऐसी दशा मे जो म्यूटेशन जैर बाबत दिया आदेश व म्यूटेशन विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](IV)-स्व. सीताराम द्वारा दिनांक 16.01.78 को लिखे गये बख्शीशनामा मे भी परसाराम पुत्र पूनाराम व पूनाराम पुत्र हराराम के पक्ष मे लिखा है, यदि दिनांक 20.04.73 को परसाराम को सीताराम ने गोद ले लिया था, तो बख्शीशनामा दिनांक 16.01.78 मे जरूर अपने गोद पुत्र के रूप मे परसाराम का नाम दर्ज करता, इससे भी यह भली भांति प्रकट है कि जो तारीख गोद की 20.04.73 बतायी है, वह फर्जी व झूठी है तथा लिखत यदि कोई है तो वह कूटस्थित है, ऐसी दशा मे आदेश म्यूटेशन व म्यूटेशन जैर अपील विधि विरुद्ध व बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किया जावे।

[2](V)—आदेश म्यूटेशन व म्यूटेशन जैर अपील में जो जांच करने का नाटकीय ढंग से क्रियान्विती की है, उससे यह प्रकट है कि इस फर्जीवाडा में तहसीलदार स्वयं सरीक था। गोद की तारीख परसारांम ने अपने नाम मुखियारनामा में तारीख 16.01.78 बतायी है, रामपाल आम मुखियार ने दिनांक 20.04.73 बता रहा है।

तथाकथित गोद पुत्र परसारांम स्टाम 36 रु. का विवरण अपने नाम आम मुखियारनामा में बता रहा है, वह बख्शीशनामा में उपयोग लिये स्टाम है।

तो फिर रामपाल के पास अन्य गोदनामा कहां से कैसे प्राप्त हुआ? जो प्रकट करता है कि यदि कोई गोदनामा पेश किया है, तो पूर्ण रूप से फर्जी है व कूटरचित दस्तावेज है।

ऐसी दशा में आदेश म्यूटेशन व म्यूटेशन जैर अपील विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](VI)—आदेश जैर अपील बाबत म्यूटेशन बाबत गोद जाने वाले के बयान नहीं लिये, किसी भी गवाह के बयान नहीं लिये, गोदनामा लिखने वाले के बयान नहीं लिये, ऐसी दशा में गोदनामा कैसे साबित मान लिया गया।

इस प्रकरण में जो गवाह लिये हैं, रामपाल 32 वर्ष, उम्मेदराम 25 वर्ष, मुकेश 30 वर्ष, रामरतन 25 वर्ष है। इनके जन्म से पहले 1983 में सीताराम फौत हो गया तथा इनके जन्म से पहले 20.04.73 को तथाकथित गोद के वक्त ये गवाह अस्तित्व में ही नहीं थे, तो गोद के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, फिर इनकी गवाह का क्या सार व आधार गोद बाबत रहा। ऐसे साक्ष्य को मानकर गोद जैसे महत्वपूर्ण विवाद पर सारहीन साक्ष्य व कूटरचित गोदनामा की कहानी पर आदेश म्यूटेशन व म्यूटेशन किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](VII)—वादग्रस्त खेत खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 मौजा मुण्डवा के बाबत अपीलार्थीगण का दावा प्रतिवादी परसारांम धर्मराम व अन्य रेस्पोंडेन्ट्स के विरुद्ध लंबित 2009 से है, जिसकी जानकारी परसारांम व अन्य सभी रेस्पोंडेन्ट्स को भली भांति है, उक्त दावा के जवाब दावा में भी परसारांम ने अपने आपको गोद पुत्र सीताराम बताने का प्रयास किया है, मगर न तो कोई गोद की तारीख लिखी गई, न ही कोई लिखित गोद होने का उल्लेख किया गया। अब गोदनामा यदि कोई पेश किया है, तो वह कूटरचित व फर्जी है तथा यदि मेटर रेग्यूलर कोर्ट में दावा के तहत सब ज्यूडिश है तो तहसीलदार को ऐसा म्यूटेशन दौरान दावा भरने व म्यूटेशन बाबत आदेश देने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी दशा में आदेश म्यूटेशन व म्यूटेशन जैर अपील विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](VIII)—राजस्व न्यायालय को गोद पुत्र होने की घोषणा करने का कोई क्षेत्राधिकार भी नहीं है, ऐसी दशा में तहसीलदार मुण्डवा ने स्व. सीताराम के परसारांम को गोद पुत्र सीताराम होने का मानने का कोई अधिकार विधि अनुसार नहीं होते हुए भी ऐसा आदेश म्यूटेशन व म्यूटेशन जैर अपील में दिया है व म्यूटेशन जैर अपील स्वीकार किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

[2](IX)—आदेश म्यूटेशन व म्यूटेशन जैर अपील में अपीलांटस को पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया, न ही अपीलांटस को कोई नोटिस दिया। जबकि अपीलांटस वादग्रस्त सम्पति में रिकार्डेड खातेदार है तथा सीताराम निर्वसीयत निःसंतान मरा था, उसकी सम्पति में अपीलांटस के पिता स्व. सीताराम की सम्पति के उत्तराधिकारी हुए, जिनका देहान्त हो जाने से अपीलांटस जरिये उत्तराधिकार हकदार हुए, ऐसी दशा में वादग्रस्त सम्पति में अपीलांटस का हित निहित होने से अपील प्रस्तुत की है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2011 (2) पेज 907 से 912, आरआरटी 2009 (2) पेज 816 से 818 तथा आरआरडी 1994 पेज 77 से 79, आरआरटी 2012(2) पेज 1412 से 1417 व आरआरटी 2003(1) पेज 47 से 54 नजीरे पेश की।

[3]—रेस्पोंडेन्ट संख्या 2/8 के अधिवक्ता द्वारा बहस में हिस्सा लेते हुए बताया कि -

[3](I)—अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं बिना प्रावधान के तहत की गई है। क्योंकि नामान्तरकरण अपील जिला कलक्टर / अपर जिला कलक्टर के पास तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरुद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की जाती है जबकि अपीलांटस द्वारा उपरोक्त अपील धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई है जिसमें ऐसी अपील पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये प्रथम दृष्टया अपीलांटस की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

{3}(II)—अपीलाधीन नामान्तरकरण मे विवादित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा जो अपीलांटस व दीगर रेस्पो. व अन्य की खातेदारी मे रहते चले आये है। उक्त खसरे नामान्तरकरण से पूर्व बुधाराम, सीताराम व हरीराम पिता गंगाराम की खातेदारी मे रहते चले आये थे तथा इस तरह की वंशावली राजस्व वाद सं. 115/09 सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर तत्पश्चात सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर वाद सं. 156/16 जो धारा 53, 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया जो अपीलांटस द्वारा पेश किया उस हिसाब से भी 1/3 हिस्सा सीताराम का, 1/3 हिस्सा बुधाराम व 1/3 हिस्सा हरीराम का तथा उसी हिसाब से बाद मे उपरोक्त व्यक्ति फोट होने पर विरासत मे फोटगी नामान्तरकरण के जरिये उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई जो अपीलांटस व रेस्पो. है अपने हिस्से का उसी अनुसार वारिस से फोटगी नामान्तरकरण व विक्रय किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया जो विधि सम्मत होने से अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से अपील खारिज की जावे।

{3}(III)—अपीलांटस द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व वाद के जवाब मे अपीलांटस द्वारा प्रतिदावा खसरा नं. 881, 882, 897 मौजा मुण्डवा व खसरा नं. 4449 मौजा खेण मे संयुक्त खातेदारी होना बताकर 1/3 हिस्से के अनुसार वाद पेश कर अनुतोष चाहा जिस पर अपीलांटस की ओर से जबाबुल जवाब पेश किया जिसमे अपीलांटस द्वारा उक्त खसरान की भूमि को संयुक्त व पैतृक भूमि नहीं माना है तथा अलग अलग खातेदारी की भूमि व अलग अलग कब्जा काश्त की भूमि मानकर प्रतिवाद का जवाब पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांटस का वाद प्रतिवाद का जवाब व अपील मे तीन तरह का अभिवचन किया गया है। इसलिये अपीलांटस के अभिवचनो तथा अपील के आधारो पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अपीलांटस अपने अपील का हित साधने की नीयत से दावा प्रतिदावा का जवाब के विपरीत कथन किये गये होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(IV)—म्यूटेशन जैर अपील हरीराम के फोट होने पर उनकी पत्नी जेठी पुत्र पूनाराम पुत्र संग्राम के नाम भरा गया व तहसीलदार द्वारा दिनांक 6.11.17 को स्वीकृत किया गया। फोटगी नामान्तरकरण भरने मे किसी प्रकार की कोई अन्य सहखातेदार को सूचना देना व उसको सुनना आवश्यक नहीं होता है तथा उनके वारिसो के नाम भरा जाता है जबकि अपीलांट इनका कोई वारिस नहीं है अन्य भाई का पुत्र है इसलिये अपीलांट को इस तरह की अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।

{3}(V)—फोटगी नामान्तरकरण जो कि हरीराम के वारिसो के नाम भरा गया है वो उसके नाम के स्थान पर उनके वारिस प्रतिस्थापित हुए है उससे किसी अन्य सहखातेदार का कोई हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही किसी विचाराधीन वाद मे इसका प्रभाव पड़ेगा इसलिये अपीलांट की अपील इस आधार पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

{3}(VI)—फोटगी नामान्तरकरण या बेचाननामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण उसी व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित होता है उसे किसी व्यक्ति का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही राजस्व रेकॉर्ड मे किसी प्रकार की कोई तब्दीली होती है तथा हिस्सा व खातेदारी घोषणा तथा बंटवाडे का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है जो अपीलांट का स्वीकार सुदा तथ्य है तथा हिस्सा तय करना बंटवाडा करना, खातेदारी घोषणा करना तमाम अनुतोष न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय द्वारा तय होगा तथा वाद विचाराधीन अपीलो से पहले चल रहा है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं है। क्योंकि अपीलांट ने अपना हिस्सा होना बताया है तथा ऐसा हिस्सा न्यायालय हाजा तय नहीं कर सकता है। अपील केवल समरी ट्रायल होती है। दौराने वाद अपील पेश की है। इसलिये उक्त अपील चलने योग्य नहीं है न ही दौराने वाद नामान्तरकरण अपील मे कोई आदेश पारित किया जाना राजस्व मंडल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपील मे किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिये तथा अपील की सुनवायी रोक देनी चाहिये या उसको खारिज किये जाने का ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

  
अपर कलक्टर, नागौर

[3](VII)—अपीलांटस उपरोक्त नामान्तरकरण की अपीलो मे किसी प्रकार से हितबद्ध व हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांटस ने धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर अपीले प्रस्तुत की है। जबकि धारा 96 के आधार पर मूल डिक्री की अपील पेश की जाती है। जबकि अपीलाधीन आदेश एक आदेश की श्रेणी मे आता है डिक्री की श्रेणी मे नहीं आता है। आदेशो के विरुद्ध अपील पेश करने के लिये 104 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया जाता है। उपरोक्त प्रावधान का विवेचन करने से स्पष्ट है कि अपीलांटस की अपील बिना कानून के बिना आधार के कानून विपरीत पेश की गई होने से चलने योग्य नहीं है। प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

[3](VIII)—अपीलांटस तीन भाई है। जयप्रकाश, रूपाराम व भंवरलाल पुत्रगण बुधाराम अपीलांटस अपने आपको अपीलाधीन आदेशो की खसरांन की भूमि का हितबद्ध हिस्सेदार व प्रभावित पक्षकार मानकर अपील पेश की गई है जबकि अपने सगे भाई भंवरलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अगर अपीलांटस इसमे हितबद्ध पक्षकार है तो उसका भाई भंवरलाल आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है उसको पक्षकार बनाने से आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](IX)—अपीलाधीन आदेश मे प्रभावित खसरा नं. 881, 882, 897, 2024 कुल रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा सरहद मुण्डवा मे 1/3 हिस्से का हिस्सेदार खातेदार सीताराम था जिसने बख्सीसनामा / दान पत्र के आधार पर अपना संपूर्ण हिस्सा दिनांक 16.1.78 को परसाराम के पक्ष मे लिखकर पंजीबद्ध करवा दिया था। जो अपील व दावे से पूर्व करवा दिया था तथा अपीलांटस ने कुचेष्टा पूर्वक सीताराम का हिस्सा हडपने की नियत से अपील पेश की तथा सीताराम द्वारा अपने जीवनकाल मे ही अपना संपूर्ण हिस्सा परसाराम के पक्ष मे दान/बख्सीस कर देने से इसमे अन्य किसी सहखातेदार व भाई बंधु का हिस्सा नहीं बनता है तथा उसके आधार पर उसने आगे बेचान कर नामान्तरकरण तस्दीक करवा दिया गया जिसमे विधि की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](X)—अपीलांटस ने अपील सं. 206/18 मे तहसीलदार मुण्डवा द्वारा प्रकरण सं. 30/18 कायम कर संबंधित पक्षकारो को सुना जाकर एवं उनको नोटिस दिया जाकर सीताराम पुत्र पूनाराम के नाम जो नामान्तरकरण गोदनामा बाबत तस्दीक किया गया वो बाद जांच बाद सुनवायी, बाद साक्ष्य अपना आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया। जिसमे अपीलांटस का कोई हक हिस्सा प्रभावित नहीं होता है न ही वो उसमे आवश्यक पक्षकार था इसलिये उसको सुनवायी का अवसर दिया जाना उचित नहीं था अगर उक्त पत्रावली के आदेश से अपीलांटस व्यथित था तो उसकी अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे होती है ऐसी अपील नहीं की है। इसलिये उक्त पत्रावली के आदेश को आधार मानकर अपील पेश की गई जो क्षेत्राधिकार के बाहर होने से अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](XI)—अपीलाधीन आदेश के तहत संबंधित गोदनामा, बख्सीसनामा दान पत्र विक्रय पत्र इत्यादि का अंकन करते हुए अपीलांटस ने अपील पेश की है तथा विक्रय पत्र के संबंध मे सुशीला बनाम परसाराम सिविल वाद सं. 130/18 सिविल जज नागौर व वाद सं. 188/18 मनीराम बनाम धर्मराम सिविल जज नागौर तथा राजस्व वाद सहायक कलक्टर मुख्यालय मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति मे अपील मे किसी प्रकार का हिस्सा आधार व हक नहीं माना जा सकता है। अपील केवल मात्र फिस्कल प्रोसिडिंग है। जिसमे किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत नहीं लिया जाता है तथा वाद विचाराधीन होने की स्थिति मे कानूनी रूप से अपील चलने योग्य नहीं है। इसलिये भी अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

[3](XII)—अपील मे किसी प्रकार का आधार मानकर आदेश प्रदान किया जाता है तो वो वाद की वाहुल्यता वढेगी एव राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय मे चल रहे वाद प्रभावित होंगे ऐसी स्थिति मे अपील को कानूनी प्रावधान उच्च न्यायालयो के सिद्धान्त के आधार पर चलना नहीं माना है तथा अपील मे निर्णय करने की वाध्यता के सिद्धान्त प्रतिपादित कर अपील को रोकने व अपास्त करने के सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[3](XIII)—अपीलाट्टा द्वारा किसी भी विक्रय पत्र गोदनामा बख्सीसनामा इत्यादि को सक्षम न्यायालय मे चलेन्ज नहीं किया गया है इसरो साफ जाहिर है कि अपीलांटस साफ हाथो से एवं स्वच्छ अपील पेश नहीं की गई है। केवल मात्र न्यायालय को गुमराह कर रेषो. पर दबाव डालकर येनकेन प्रकारेण सीताराम का जो हिस्सा परसाराम को विधि अनुसार प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करने की कुचेष्टा की गई है इस आधार पर भी अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।


[4]—वकील रेस्पोजेन्ट संख्या 02 ने अपीलान्ट्स की बहस का विरोध करते हुए अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट्स का कोई हक, हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। अपीलान्ट का हिस्सा तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

[5]— राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[6]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा मुण्डवा के नामान्तरकरण सं. 3442 दिनांक 06.08.2018 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। जहां पक्षकारों के स्वत्व अधिकार निर्णीत नहीं किये जा सकते हैं। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिये।

[7]— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[8]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(मोहन लाल खटनावलिया)  
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर